संख्या- 38/2020/582/18-2-2020-12(ल0उ0)/2019

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0 प्र0, कानपुर।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4.समस्त उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

5.समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु-2   लखनऊ: दिनांकः 11 नवम्बर, 2020

विषयः उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थापना की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उक्त उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-468/18-2-2020-12(ल0उ0)/2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 द्वारा दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न एनेक्जर-1 में उल्लिखित है कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे-

(1) Land related NOCs application forms (land related NOCs shall be sought in accordance with Revenue Code 2006 and Bill 2016) on set Format no. 1 and 2
(2) Electrical Safety related NOC appliction form on Format no.2
(3) Pollution related NOC appliction form on Format no.4
(4) Labour related NOC application form on Format no.5
(5) Fire Safety related NOC appliction form on Format no.6

2- उक्त फार्मेट के संबंध में कतिपय जनपदों द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अवगत कराना है कि उद्यम स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने की प्रक्रिया से संबंधित सभी विभाग निवेश-मित्र पोर्टल से जुड़े हुये हैं। आवेदनकर्ता द्वारा निवेशमित्र पोर्टल niveshmitra.up.nic.in पर आवेदन करने के उपरान्त संबंधित विभागों के आवेदन पत्र की प्रति उक्त एनेक्जर के साथ संलग्न कर संबंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा की जायेगी एवं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-468/18-2-2020-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12(ल0उ0)/2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्तों अनुरूप निर्धारित अवधि में अग्रतर कार्यवाही करेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।